छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-4

नवा रायपुर अटल नगर, गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा हुई।

2. बहिर्गमन

प्रश्न क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 02, 03, 04, 05, 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

4. व्यवस्था

सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि- सभा के द्वारा दिए गए सभापति के दायित्व के निर्वहन के फलस्वरूप प्रश्न संख्या-6 (क्र.336) के प्रश्नकर्ता का नाम नहीं पुकारा गया। चूंकि प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही प्रश्नोत्तरी सूची के सभी प्रश्न उस दिन की सभा की कार्यवाही का भाग बन जाते हैं। उक्त व्यवस्था के तहत वह प्रश्न भी सभा की कार्यवाही का भाग बन गया है। उसमें मात्र अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये हैं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 66 तारांकित एवं 98 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i)114/सी.एस.ई.आर.सी./ 2025, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिये टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2025 तथा

(ii)115/सी.एस.ई.आर.सी./2025, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2025,

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में अंतिम तिमाही तथा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 के संदर्भ में प्रथम व द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(3) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 307/पीएलजीएमजे/845/2025- सेक्शन (पीए) दिनांक 11 सितम्बर, 2025 तथा

(ii) 309/पीएलजीएमजे/845/ 2025- सेक्शन (पीए) दिनांक 11 सितम्बर, 2025,

(4) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा

(5) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (कमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 15-24/15-2/2023, दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 तथा

(ii) लॉ/762/2025 कॉम, कोऑप. एंड आरसीएस/76627, दिनांक 20 जून, 2025,

पटल पर रखे।

6. पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, श्री उमेश पटेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, बालेश्वर साहू, विक्रम मण्डावी, भोलाराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, भूपेश बघेल, सदस्यों द्वारा धान खरीदी में हुई अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

माननीय सभापति ने प्रतिपक्ष के सदस्यों एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हुए प्राप्त स्थगन की सूचना को अग्राह्य कर दिया।

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मंडावी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती

शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

मानननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

8. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

9. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सुनील कुमार सोनी सदस्य ने मदिरा दुकानों एवं अहाता आवंटन हेतु स्थान चयन के मापदण्ड निर्धारण नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत् आदिवासी पारधी समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने की ओर आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री सुनील कुमार सोनी
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्रीमती अंबिका मरकाम

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 03)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
2. (क्रमांक - 08)	श्री बघेल लखेश्वर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्री सुशांत शुक्ला

13. समितियों का निर्वाचन

1. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- ''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिये अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- '''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्योंके लिए निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित बी-ब्लॉक स्थित समिति कक्ष में होगी ।

(3) उम्मीद्वारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्याक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित बी-ब्लॉक स्थित समिति कक्ष में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **"सूचना कार्यालय"** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

14. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अमर अग्रवाल, श्रीमती संगीता सिन्हा,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

(चर्चा के दौरान पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य आरोप-प्रत्यारोप एवं व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की गई)

(सदन की कार्यवाही 3.23 बजे स्थगित की जाकर 3.32 बजे प्रारंभ हुई)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सर्वश्री मोतीलाल साहू, रामकुमार यादव, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्री ब्यास कश्यप,

गुरूवार, 26 फरवरी, 2026

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

श्रीमती रायमुनी भगत,

(सायं 5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा